will be associated with the Association even in the capacity of a 'Patron.

II. Processing of the application in the Sangathan Headquarters and discussion with the concerned Association, if any, for seeking clarification by Thirty First May.

III Final decision to be conveyed for de jure recognition by Thirty First July.

It is clarified that applications for recognition which do not give the information and documents required above will not be considered.

This letter may be put on the notice board and brought to the notice of all the staff members of your Vidyalayas/Offices/Section.

Yours faithfully,

Sd/-

(J. N. SHARMA)

Dy. Commissioner (per) Encl: As above.

Copy to Notice Board (H Q)

Harassment of Grade 'C' employees in Northern Railways

834. SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Northern Railway has been allegedly harassing its Grade 'C' employees at Tundla and Kanpur since 1982;

(b) if so, whether Government propose to conduct an inquiry into the whole affairs; and

(c) if not, the reasons therefor and the action proposed to be taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) There have been no cases of harassment of Grade 'C' employees at Tundla and Kanpur. However, a few employees have ben removed/dismissed from service on charges amounting to unsocial activities like reselling of tickets, carrying passengers and unbooked luggage unauthorisedly etc.

(b) and (c) Do not arise.

इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर पुस्तकों की दुकानें

835. **श्री सत्यपाल मलिक** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के नए प्लेटफार्मों पर पुस्तकों की दुकानों का ठेका दिए जाने के बारे में कुछ संसद सदस्यों ने हाल ही में सरकार को पत्र लिखे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) जी हां, कुछ संसद सदस्यों ने इलाहाबाद स्टेशन के नये प्लेटफार्म पर मैसर्स ए०एच० व्हीलर एंड कम्पनी को बुक स्टाल आबंटित किये जाने की सिफारिश की थी ।

(ख) इसे स्वीकार नहीं किया गया था और संसद सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया गया था ।

अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर अति विशिष्ट व्यक्तियों हेतु सीटों का आरक्षण

836. **श्री मीर्जा इशादबेग** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अहमदाबाद से कलकत्ता और दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ियों में अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिये आरक्षित सीटों का कोटा कितना है तथा उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अतिविशिष्ट व्यक्ति माना जाता है ;

(ख) 13 फरवरी, 1987 को हावड़ा एक्सप्रेस में अहमदाबाद से हावड़ा तक किन-किन अति विशिष्ट व्यक्तियों ने कितनी-कितनी सीटों तथा शायिकाओं के आरक्षण की मांग की थी ;

(ग) किन-किन अति विशिष्ट व्यक्तियों को कितनी-कितनी मांगों को पूरा किया गया ;

(घ) किन-किन अति विशिष्ट व्यक्तियों की मांगों को पूरा नहीं किया गया और उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सरकार को अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर अति विशिष्ट व्यक्तियों संबंधी आरक्षण कोटे में बरते जा रहे कदाचारों की जानकारी है ?

रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) केवल अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए ही गाड़ियों में शायिकाओं/सीटों का कोई कोटा परिचालित नहीं किया जाता है । गाड़ियों द्वारा यात्रा के लिए आपतिक मांगें, अति विशिष्ट व्यतियों, मंत्रियों, संसद् सदस्यों, न्यायाधीशों आदि) से प्राप्त मांगों सहित, रेल प्रशासन के पास उपलब्ध "आपात कोटे" से पूरी की जाती हैं ।

अहमदाबाद में दिल्ली और हावड़ा के लिए गाड़ियों में निम्नलिखित "आपात कोटा" उपलब्ध है :—

गाड़ी का नम्बर	आपात कोटे में शायिकाएं			
	पहला दर्जा वातानुकूलित	दूसरा दर्जा वातानुकूलित	पहला दर्जा	दूसरा दर्जा
133 हावड़ा एक्सप्रेस . .	—	4	2	10
2 दिल्ली मेल . .	2	2	2	6
506 आश्रम एक्सप्रेस . .	—	—	4	12
181 सर्वोदय एक्सप्रेस . .	—	8	—	11
4 दिल्ली एक्सप्रेस . .	—	—	2	10

(ख) से (घ) 13-2-1987 को अहमदाबाद से चली हावड़ा एक्सप्रेस द्वारा किसी अति विशिष्ट व्यक्ति से उनके द्वारा स्वयं यात्रा करने का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ था । तथापि, दो संसद सदस्यों, एक विधायक तथा गुजरात के मुख्य मंत्री के वैयक्तिक सहायक द्वारा आरक्षित स्थान हेतु दूसरी पार्टियों के कुछ अनुरोध प्रायोजित किये गये थे । उनके ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

नाम	दर्जा	आबंटित
श्री दीपेन घोष, संसद सदस्य . .	दूसरे दर्जे की तीन	2
श्री ए०के० पाटिल, संसद सदस्य . .	दूसरे दर्जे की एक	1
श्री ए०पी० गुंदीवाला, विधायक . .	पहले दर्जे की दो	कोई नहीं
श्री जे०जे० रठानिया, वैयक्तिक सहायक मुख्य मंत्री गुजरात . .	दूसरे दर्जे की चार	कोई नहीं

श्री पाटिल, संसद सदस्य द्वारा प्रायोजित अनुरोध पूरा कर लिया गया था जबकि श्री घोष, संसद सदस्य द्वारा प्रायोजित अनुरोध आंशिक रूप से पूरा किया जा सका था । श्री गुंदीवाला, विधायक द्वारा प्रायोजित अनुरोध पूरा नहीं किया जा सका था क्योंकि यह व्यापारियों के लिए एक सामान्य अनुरोध था । मुख्य मंत्री के वैयक्तिक सहायक से प्राप्त अनुरोध दूसरे दर्जे की चार शायिकाओं के लिए था और अन्य मांगों को देखते हुए दो शायिकाएं देने की पेशकश की गयी थी । लेकिन, पार्टी एक साथ चारों शायिकाएं चाहती थी ताकि वे एक साथ यात्रा कर सकें । अतएव उन्हें 15-2-1987 को यात्रा करने के लिए आपात कोटे से चार शायिकाएं दे दी गयी थी और उन्होंने यात्रा की थी ।

प्र (ङ) इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

बारीपादा, उड़ीसा में सेंट्रल स्कूल के मुख्यालय की स्थापना

837. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बाहीपादा क्षेत्र में सेंट्रल स्कूलों का मुख्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर "हां" हो, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर कितना धन खर्च होने की संभावना है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली नगर निगम के मलेरिया उन्मूलन विभाग में पदोन्नति

838. **श्री सुनील कुमार पट्टनायक । कुमारी सुशीला तिरिया :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम के मलेरिया उन्मूलन विभाग में निगरानी रखने वाले अनेक कर्मकार पिछले 20-25 वर्षों से एक ही पद पर लगातार कार्य करते आ रहे हैं और उन्हें अभी तक पदोन्नत नहीं किया गया है जबकि मलेरिया निरीक्षक के पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) इस समय दिल्ली नगर निगम में कार्यरत निगरानी रखने वाले कर्मकारों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) का उत्तर "हां" हो, तो उसके क्या कारण हैं और उस विभाग में ऐसे कितने व्यक्तियों को अभी तक पदोन्नति नहीं किया गया है; और

(घ) क्या सरकार इन व्यक्तियों को पदोन्नत करने का विचार रखती है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सरोज खापर्डे) : (क) से (घ) दिल्ली नगर निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार वहां 128 निगरानी कार्यकर्ता ऐसे हैं जो नगर निगम के मलेरियारोधी विभाग में पिछले 20-25 वर्षों से एक ही पद पर लगातार कार्य करते आ रहे हैं, जिन्हें अभी तक पदोन्नत नहीं किया गया है । इन निगरानी कार्यकर्ताओं को मलेरिया निरीक्षकों के खाली पद उपलब्ध न होने के कारण मलेरिया निरीक्षकों के पद पर पदोन्नत नहीं किया जा सका । तथापि जब कभी रिक्तियां होंगी, दिल्ली नगर निगम द्वारा इन रिक्तियों को भरने की कार्रवाई की जाएगी ।